राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांकः F2 ( )/ रालसा/डी एस–I/2018/662 दिनांक 03.12.2018

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) संशोधन विनियम, 2018 के प्रभावी होने के साथ राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समिति के अधीन कार्यरत पैनल अधिवक्तागण का engagement (रिटेनर, बेल–रिमाण्ड लॉयर्स, विभिन्न योजनाओं में कार्यरत पैनल लॉयर्स) का कार्यकाल दिनांक 31.12.2018 तक ही प्रभावी रहेगा और दिनांक 01.01.2019 से नये पैनल के गठन हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं अतः सभी अधिवक्तागण पुनः पैनल में सम्मिलित करने हेतु नये सिरे से नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर पैनल में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। जिन अधिवक्तागण को केस के लिए विधिक सहायता (Legal aid) के लिए नियुक्त किया गया है और जो राज्य बजट के अधीन मानदेय प्राप्त करते हैं, वह उस प्रकरण का विचारण पूर्ण होने तक /समाप्ति तक प्रकरण की पैरवी करते रहेंगे, परन्तु वे नियमित प्रगति रिपोर्ट संबंधित तालुका/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे।

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकः F2 ( )/ रालसा/डी एस–I/2018/34822–34940 दिनांक 03.12.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है–

1. अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
2. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान।
3. वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
4. समस्त संबंधित कार्यालय।
5. आदेश पत्रावली।

03/12/18

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर